"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026 — पौष 26, शक 1947

गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2026

अधिसूचना

File No. GENCOR-35/739/2025-HOME SECTION.— विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 01–05–2025 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, छत्तीसगढ़, रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 36/2024 धारा 420, 120बी भादवि एवं 7 भ्र.नि.अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था।

शाखा प्रभारी, सी.बी.आई./ए.सी.बी., रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक CRMP No. 2721/2024/CBI/ACB/CG/Raipur/1825, Dt. 18-09-2025 एवं पत्र क्रमांक CRMP No. 2721/2024/CBI/ACB/CG/Raipur/1869, Dt. 22-09-2025 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव व अभिलेख वापस किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण का पुनः परीक्षण परीक्षया किया गया जिसमें यह निष्कर्ष पाया गया कि, लोक सेवक आरोपियों के विरूद्ध जांच/विवेचना हेतु झारखण्ड राज्य शासन द्वारा धारा–17क भ्र0नि0अधि0 1988 यथासंशोधित 2018 के तहत् पूर्वानुमोदन प्रदाय नहीं किया गया है। झारखण्ड राज्य में वर्तमान में इस प्रकरण से संबंधित कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी प्राप्त हुई है जो कि इस प्रकरण के आरोपों से संबंधित होना प्रतीत होता है, साथ ही विवेचना में साक्ष्य संकलन छत्तीसगढ़ राज्य के साथ–साथ झारखण्ड राज्य में भी किया जाना है। दूसरे राज्य क्षेत्र और साक्ष्य संकलन होने से विवेचना जटिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में विवेचना की तकनीकि जटिलताओं से बचने के लिए न्यायहित में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों(सी.बी.आई.) द्वारा प्रकरण की विवेचना किया जाना जाना उचित होगा।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946(अधिनियम 25 सन् 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, छत्तीसगढ़, रायपुर में दर्ज अपराध कमांक 36/2024 धारा 420, 120बी भादवि एवं 7 भ्र.नि.अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने की पुनः सहमति प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. चौहान, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.